न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस. डी. ओ.) शिव जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारीः— श्री हनुमानाराम आर. ए. एस.)

राजस्व वाद संख्या 16/2018

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1 नगाराम पुत्र दीपाराम 2 खूमाराम पुत्र दीपाराम 3 हनुमानराम पुत्र दीपाराम के वारिस 3/1 जयप्रकाश 3/2 अशोक कुमार 3/3 सुरेश कुमार पि. हनुमानराम 3/4 श्रीमती अणसीदेवी पत्नी हनुमानराम कौम ब्राहमण निवासी धनाणी मेगवालों की ढाणी, तहसील शिव		1 रावताराम पुत्र किसनाराम 2 भैराराम पुत्र किसनाराम 3 श्रीमती सोनीदेवी पत्नी किसनाराम 4 नृसिंगाराम पुत्र कुशलाराम 5 मुल्तानाराम पुत्र कुशलाराम 6 बाबुराम पुत्र कुशलाराम 7 ओमप्रकाश पुत्र कुशलाराम 8 श्रीमती झमकूदेवी पत्नी कुशलाराम 9 भारूराम पुत्र जेहीराम 10 देवीकिशन पुत्र जेहीराम के वारिस 10/1 खूमाराम 10/2 धनाराम 10/3 अशोक कुमार पि. देवीकिशन 11 बगसीराम पुत्र कुशलाराम 12 मोहन पुत्र कुशलाराम 13 शंकर पुत्र कुशलाराम 14 श्रीमती पेम्पोंदेवी पत्नी बगसीराम कौम ब्राहमण निवासी धनाणी मेगवालों की ढाणी, तहसील शिव 15 मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा उण्डू 16 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः— 1 श्री नरेन्द्रसिंह सियाग वकील वादीगण
2 श्री बृजमोहन कुमावत वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3

—:निर्णयः— दिनांकः— 09.01.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम धनाणी मेगवालों की ढाणी से विभक्त होकर बने ग्राम फतेहसिंह नगर तहसील शिव की खसरा संख्या 732 रकबा 1—11 बीघा एवं खसरा संख्या 751 रकबा 96—09 बीघा भूमि के पूर्व खातेदार सोनाराम पुत्र लाधाराम निःसंतान थे, जिनके जीवनकाल में उनकी सेवा सुश्रूषा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पूर्व पुरूष दीपाराम, प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के पिता—पति कुशलाराम पुत्र पुनमाराम, प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के पिता जेहीराम पुत्र श्रीराम तथा प्रतिवादी संख्या 11 से 14 के पूर्व पुरूष कुशलाराम पुत्र जेहीराम ने की थी। अतः सोनाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त चारों परिवारों को उक्त भूमि बहिस्सा बराबर देने की घोषणा की थी। तदनुसार संवत् 2018 को सोनाराम के फौत होने पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण 1/4 — 1/4 हिस्सानुसार उक्त चारों परिवारों के नाम दायर होकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हुआ। सोनाराम के देहान्त के समय दीपाराम के चार पुत्र—किसनाराम, हनुमानराम, नगाराम व खूमाराम — होने के बावजूद परिवार का कर्ता खानदान किसनाराम होने से उनके परिवार के 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण में केवल किसनाराम अकेले का नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार वादीगण बावजूद हक के खातेदारी से महरूम हो गये। जबकि वादग्रस्त भूमि पर दीपाराम के चारों पुत्रों के परिवार का बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वादीगण ने 3/4 हिस्से के शेष खातेदारों का हिस्सा अप्रभावित रखते हुए वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से में स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सह खातेदार करार दिलवाते हुए 1/16 हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक की, 1/16 हिस्सा वादी संख्या 3 के वारिसान की एवं 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी में घोषित करवाने तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध अपने कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नही करने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। बावजूद सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 4 से 14 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने जवाब में वाद के तथ्यों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध विचाराधीन फौजदारी प्रकरण में राजीनामा का दवाब बनाने के लिये द्वेषवश गलत तथ्यों को आधार बनाकर यह वाद प्रस्तुत किया है। मृतक सोनाराम के जीवनकाल में केवल किसनाराम ने ही उसकी सेवाचाकरी की थी तथा उसके मरणोपरान्त हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार समस्त संस्कार भी उन्हीं ने सम्पन्न करवाये थे। अतः सोनाराम ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा

सहायक कलक्टर (SDO)

Scanned with OKEN Scanner

किसनाराम को देने की घोषणा की थी और उसी आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरकरण भी किसनाराम अकेले के नाम से पारित हुआ था। वादीगण उक्त भूमि में न कोई हक रखते है और न उनका कभी कब्जा काश्त ही रहा है। अंत में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने वादीगण का वाद बदले, अदाबदी एवं द्वेषभावना से किया गया होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई:–

1. आया वादग्रस्त आराजी खेत खसरा संख्या 751 रकबा 96–09 बीघा तथा खेत खसरा संख्या 732 रकबा 01–11 बीघा, कुल रकबा 98–00 बीघा मौजा धनाणी मेगवालों की ढाणी पटवार मण्डल राजबेरा तहसील शिव की भूमि स्व. सोनाराम की थी, जिसे स्व. सोनाराम ने अपने जीवनकाल में उसका भरण, पोषण, देखभाल चार कुटुम्ब के परिवारों द्वारा करने से चारों कुटुम्ब के परिवारों को बहक बराबर 1/4 – 1/4 हिस्सा देने की घोषणा की थी।

–जिम्मे वादीगण

2. आया स्व. दीपाराम के परिवार उनका ज्येष्ठ पुत्र स्व. किसनाराम ही बालिग होने तथा शेष तीनों पुत्र नाबलिग होने से एवं दीपाराम के परिवार का तत्समय कर्ता खानदान स्व. किसनाराम होने के कारण स्व. सोनाराम की फौतेदगी का विरासत के नामान्तरकरण में 1/4 हिस्सा अपने अकेले के नाम खुलवाया।

–जिम्मे वादीगण

3. आया वादग्रस्त आराजी स्व. दीपाराम के परिवार की हैसियत से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वालिद को प्राप्त होने से इसमें वादीगण भी सह खातेदार घोषित होने के अधिकारी है तथा वादीगण के हिस्से एवं कब्जे काश्त की भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा की जा रही दखलदांजी को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

–जिम्मे वादीगण

4. आया वादग्रस्त आराजी स्व. सोनाराम का भरण पोषण सेवा चाकरी व अंतिम क्रियाकर्म प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वालिद स्व. किसनाराम द्वारा किये जाने से, उक्त आराजी पुश्तैनी नहीं होने से, वक्त विरासत का नामान्तरकरण वादीगण नाबालिग नहीं होने एवं वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने से वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है।

–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3

5. आया वादग्रस्त आराजी पूर्व खातेदार स्व. सोनाराम ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वालिद को देने की घोषणा गांव के मौजिज लोगों के समक्ष की होने से तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वंश वृक्षावली में पूर्व खातेदार से वादीगण का रिश्ता नहीं बताया होने से वादीगण खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है।

–जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3

वादीगण ने अपने वाद कथन के समर्थन में स्वयं वादी जयप्रकाश पीडब्ल्यू 1, मुल्तानाराम पीडब्ल्यू 2, उगमसिंह पीडब्ल्यू 3 एवं सवाईसिंह पीडब्ल्यू 4 को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 751 की संवत् 2072 से 2075 की जमाबन्दी इ.एक्स.पी. 1 खसरा संख्या 732 की वर्तमान जमाबन्दी इ.एक्स.पी. 2 एवं मौजा उण्डू के नामान्तरकरण संख्या 48 व 1779 इ.एक्स.पी. 3 एवं इ.एक्स.पी. 4 प्रस्तुत किये। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की और से रावताराम डी. डब्ल्यू. 1, घेवरचन्द डी. डब्ल्यू. 2 मीर मोहम्मद डी. डब्ल्यू. 3 एवं मोहम्मद डी. डब्ल्यू. 4 को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में वादग्रस्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी, नक्शा व गिरदावरी इ.एक्स.डी. 1 से इ.एक्स.डी. 3, वादग्रस्त भूमि की खतौनी बंदोबस्त इ.एक्स.डी. 4 व पर्चा लगान इ.एक्स.डी. 5, पटवार मण्डल उण्डू के पी 35 रजिस्टर की नकल इ. एक्स.डी. 6, पटवारी मण्डल राजबेरा के पी 35 रजिस्टर की नकल इ.एक्स.डी. 7, सोना पुत्र लाधा के देहान्त पर पारित नामान्तरकरण संख्या 48 इ.एक्स.डी. 8, संवत् 2040 से 2075 की गिरदावरी नकले इ. एक्स.डी. 9 से इ.एक्स.डी. 15 एवं ग्राम हनुमानपुरा के खसरा संख्या 847 की चालू जमाबन्दी इ.एक्स.डी. 16 प्रस्तुत की। दोनों पक्षों की और से लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

वकील वादीगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार सोनाराम के कोई आल औलाद नहीं होने से उनका भरण पोषण एवं देखभाल उनके नजदीकी रिश्तेदारों -- दीपाराम, पुनमाराम, जेहीराम व कुशलाराम – के परिजन करते थे तथा सोनाराम के देहान्त के समय दीपाराम के चारों पुत्र संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में साथ–साथ रहते थे। सोनाराम ने अपने जीवनकाल में

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

वादग्रस्त भूमि अपने मरणोपरान्त उक्त चारों परिवारों को देने की घोषणा की थी। सोनाराम की मृत्यू के समय दीपाराम के परिवार का मुखिया किसनाराम होने एवं वादीगण तत्समय अल्पवय होने से नामान्तरकरण में केवल किसनाराम का नाम दर्ज हुआ, किन्तु उक्त भूमि के 1/4 हिस्से पर दीपाराम के परिवार का संयुक्त कब्जा काश्त रहा जो आज भी चला आ रहा है। अतः वादीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्ड में अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं होने से वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ स्वयं को सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादी सं. 1 से 3 की बहस है कि सोनाराम के जीवनकाल में उसकी सार संभाल एवं सेवा केवल किसनाराम ने ही की थी और उसकी मृत्यु के बाद हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार हरिद्वार में अस्थि विसर्जन एवं अन्य समस्त व्यय उसी ने वहन किया था। इसलिये उसकी सेवा से खुश होकर वादग्रस्त भूमि अपने जीवनकाल में सोनाराम ने किसनाराम अकेले को देने की घोषणा की थी। वादीगण ने – वे सोनाराम के वंश वृक्ष में कौनसी पीढी में रिश्तेदार है – इस तथ्य का कोई खुलासा नहीं किया है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य नहीं होने से वे किसनाराम के साथ किसी प्रकार की अधिकारिता नहीं रखते और न दीपाराम का ही सोनाराम की खातेदारी भूमि में कोई हक बनता था। दीपाराम के चारों पुत्रों के परिवार बंदोबस्त पूर्व से अलग–अलग ढाणियां बसाकर रहते थे। सोनाराम के कोई संतान नहीं होने से वह किसनाराम के साथ ही रहता था। यदि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हक हिस्सा होता, तो वे दीपाराम के जीवनकाल में ही इस सम्बन्ध में अपनी दावेदारी करते। करीब चार वर्ष पूर्व वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 में आपसी झगड़ा मारपीट के कारण आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत वादीगण के विरुद्ध मुकदमा दायर होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध राजीनामे का दबाव बनाने हेतु गलत तथ्यों को आधार बनाकर यह वाद प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज है। अतः वादीगण का वाद मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन किया।

तनकी संख्या 1 – सोनाराम के जीवनकाल में उसका भरण पोषण चार परिवारों द्वारा किये जाने से सोनाराम द्वारा उक्त चारों परिवारों को वादग्रस्त भूमि बहिस्सा बराबर देने वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ संयुक्त रूप से हक होने की वादीगण की इस्तदुआ से सम्बद्ध है, जिसे सिद्ध करने का जिम्मा वादीगण पर है। वादपत्र में अंकित वंश वृक्ष के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मुतवफी दीपाराम के वारिस हैं। वादीगण के कथनानुसार सोनाराम की परवरिश करने वाले चारों परिवारों में से एक परिवार दीपाराम का था, जिसके वारिस वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 है तथा चारों परिवारों का वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से में बराबर – बराबर कब्जा काश्त है। किन्तु उस समय केवल किसनाराम ही बालिग होने से दीपाराम ने उसी के नाम से नामान्तरकरण दायर करवाया। मौखिक साक्ष्य के अभिकथनों से वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से पर दीपाराम के चारों पुत्रों के परिवार का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त होने की पुष्टि होती है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा अपने जवाब में केवल किसनाराम द्वारा ही सोनाराम के जीवनकाल में उसकी सेवा चाकरी करने तथा उसकी मृत्यु पर हिन्दु रीति रिवाज के अनुसार अंतिम क्रियाकर्म का व्यय वहन करने का किया गया कथन प्रथम दृष्टया गलत है। क्योंकि यदि केवल किसनाराम ने ही अकेले ऐसा किया होता, तो समस्त वादग्रस्त भूमि सोनाराम अकेले उसके नाम करवाता। इससे स्पष्ट है कि दीपाराम सहित शेष तीनों परिवारों का सोनाराम की सेवामे योगदान रहा है। इस प्रकार वादीगण का वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ हक होना साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 वादीगण की दावेदारी का खण्डन करने मे असफल रहे है। लिहाजा तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 – वादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा किसनाराम अकेले के नाम दर्ज होने की वजह सोनाराम की मृत्यु के समय दीपाराम के अन्य पुत्रों के नाबालिग होने के वादी के कथन से सम्बद्ध है। चूंकि तनकी संख्या 1 में वादी वादग्रस्त भूमि में स्वयं को हकदार साबित करने में सफल रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने सोनाराम से वादीगण का कोई रिश्ता नहीं होने का तथा इस लिहाज से उनका वादग्रस्त भूमि में कोई हक नहीं होने का कथन किया है। जबकि पक्षकरान् के वंश वृक्ष के अनुसार जितना रिश्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का सोनाराम से था, उतना ही वादीगण का था। इससे इस तथ्य को बल मिलता है कि वादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा दीपाराम के संयुक्त परिवार को सोनाराम ने अपनी सेवा के बदले में दिया था। नामान्तरकरण प्रक्रिया में हुई त्रुटि के आधार पर किसी के जायज हक समाप्त नहीं हो जाते। लिहाजा तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 – वादीगण की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 विरुद्ध अपने हिस्से व कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने की इस्तदुआ से सम्बद्ध है। चूंकि वादीगण स्वयं को वादग्रस्त भूमि के 3/16 हिस्से के खातेदार घोषित करवाने में सफल रहे हैं। अतः उनके पक्ष में उनके हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा तनकी संख्या 3 भी वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

सहायक कलक्टर
(...) शिव

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 4 – प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी नहीं होने, सोनाराम के समय वादीगण के नाबालिग नहीं होने एवं उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण वादीगण की अधिकारिता नहीं होने के प्रतिकथन से सम्बद्ध है। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर अपनी दावेदारी पुश्तैनी आधार पर नहीं की है बल्कि वादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा सोनाराम द्वारा दीपाराम परिवार को उनकी सेवा के बदले दिये जाने के आधार पर की है। दीपाराम को दी गई 1/4 हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण उसके चारों पुत्रों के बजाय केवल एक – किसनाराम – के नाम दायर किये जाने से शेष तीनों पुत्रों के हक समाप्त नहीं हो जाते है। नामान्तरकरण प्रक्रिया के दौरान किसी के बालिग या नाबालिग होने से उसके हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि तनकी संख्या 1 में वादीगण वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से में स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ खातेदारी के हकदार साबित कर चुके है। लिहाजा तनकी संख्या 4 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 5 – प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की वादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा ग्राम के मौजिज लोगों के समक्ष सोनाराम द्वारा किसनाराम को देने की घोषणा करने एवं प्रस्तुत वंश वृक्ष से सोनाराम का वादीगण से कोई रिश्ता नहीं होने के कारण वादीगण की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की पात्रता नहीं होने के प्रतिकथन से सम्बद्ध है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने सोनाराम द्वारा वादग्रस्त भूमि का 1/4 हिस्सा उनके पिता पति किसनाराम को देने की घोषणा का कथन किया है। किन्तु अपने इस कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य – यथा घोषणा पत्र – प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे उनके कथन की पुष्टि होती हो। तनकी संख्या 1 में, जैसा कि स्पष्ट है, वादीगण स्वयं को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से में खातेदार घोषित करवाने में सफल रहे है। ऐसी सूरत में तनकी संख्या 5 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध निर्णीत की जाती है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि सोनाराम की मृत्यु के समय दीपाराम जीवित थे, और उनके परिवार ने तीन अन्य परिवारों के सहित सोनाराम की सेवा सुश्रूषा की थी, जिससे संतुष्ट होकर सोनाराम ने उक्त चारों परिवारों को बहिस्सा बराबर वादग्रस्त भूमि देना तय किया था। अमूमन पहले यह परम्परा रही है कि पिता के फौत होने पर उनके बड़े पुत्र के नाम उनकी खातेदारी जरिये नामान्तरकरण दर्ज कर दी जाती थी तथा कई बार दौराने बंदोबस्त पिता अपनी भूमि अपने बडे पुत्र के नाम दर्ज करवा देते थे। बाद में भाइयों के जीवनकाल तक सिलसिला शांतिपूर्वक चलता रहता था। किन्तु बड़े पुत्र की मृत्यु के साथ ही उनकी भूमि केवल बड़े पुत्र के वारिसों के नाम दर्ज होने से विवाद की स्थिति खडी हो जाती थी। प्रस्तुत प्रकरण में दीपाराम द्वारा सोनाराम से प्राप्त वादग्रस्त भूमि का नामान्तरकरण अपने बड़े पुत्र किसनाराम अकेले के नाम इन्द्राज करवाने के कारण विवाद की स्थिति पैदा हुई। अतः वादग्रस्त भूमि के 1/4 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ वादीगण की खातेदारी घोषित किया जाना अदालत उचित समझती है।

लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम धनाणी मेगवालों की ढाणी से विभक्त होकर बने नवसृजित ग्राम फतेहसिंह नगर तहसील शिव की खसरा संख्या 751 रकबा 96–09 बीघा एवं खसरा संख्या 732 रकबा 01–11 बीघा कुल रकबा 98–00 बीघा भूमि के शेष 3/4 हिस्से के खातेदारान् को अप्रभावित रखते हुए एवं 1/4 हिस्से में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सहखातेदार करार देते हुए 1/16 – 1/16 हिस्सा वादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक की, 1/16 हिस्सा वादी संख्या 3 के वारिसान की एवं 1/16 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध वादीगण के 3/16 हिस्से के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
शिव जिला बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner